न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (कैम्प कोर्ट कल्याणसर नया)

मुकदमा नम्बर 54/2020 निर्णय दिनांक 08.10.2021

ऑनलाईन नम्बर 2020/00105

1. ओमप्रकाश पुत्र जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम सांवतसर हाल निवासी सी–83, समतानगर, बीकानेर स्वयं व 2. चुन्नीदेवी पत्नी स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम 3. बंशीलाल पुत्र स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम 4.शिवरतन पुत्र स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम 5. रामस्वरूप पुत्र स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिशनोई निवासीगण हीरो होण्डा शोरूम के पास नोखा जिला बीकानेर 6 .भगवानाराम पुत्र जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिश्नोई निवासी धारणिया ऑटो मोबाईल एजेन्सी, नागौर 7. रामेश्वरी पुत्री जैसा उर्फ जयसुखराम (पत्नी ओमप्रकाश) जाति बिशनोई निवासी हाल 153 श्रीसुरजनजी की ढाणी, रानीवाडा, काबा मडगांव जालौर 8. रामाकंवर पुत्री जैसा उर्फ जयसुखराम (पत्नी सुनील कुमार) जाति बिशनोई निवासी हाल के.बी. सिनेमा के पास ,वार्ड नं 25 रायसिहनगर (गंगानगर) 9. संतोष पुत्री जैसा उर्फ जयसुखराम (पत्नी शैलेन्द्र) जाति बिश्नोई निवासी हाल प्लॉट नम्बर 27, सेक्टर 18 ई.सी.एच.बी. समोर, कृष्णा नगर, जोधपुर जरिये अपने मुख्तयार खास ओमप्रकाश पुत्र जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिशनोई निवासी ग्राम सांवतसर हाल निवासी सी–83, समतानगर, बीकानेर 10. पतराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई निवासी नोखा जिला बीकानेर स्वयं

–वादीगण–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–

1. श्री नारायण पंवार अभिभाषक वादीगण
2. स्टेट की ओर से पेरोकारराज

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए व 136 एलआर एक्ट

यह वाद ओमप्रकाश वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता व वादी संख्या 10 की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर पुराना 26 तादादी 15 बीघा 5 बिस्वा वाकेरोही कल्याणर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। कालान्तर में खसरा नम्बर 26 के नये खसरा नम्बर 37 व खसरा नम्बर 37 के नये खसरा नम्बर 32 तादादी 3.86 हैक्टेयर के रूप मे कायम चले आ रहे है। यह कि वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता जैसा उर्फ जयसुखराम की मृत्यु दिनांक 06.01.2017 को हो गई। स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम के वारिसानों में वादी संख्या 1 से 9 जायज वारिसान हुए है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादी संख्या 1 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा पैतृक तौर पर निहित है तथा 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 10 के नाम से दर्ज चली आ रही है। यह कि वादी संख्या 2 ता 9 ने वादी संख्या 1 को अपना मुख्तयार आम नियुक्त कर रखा है व वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 32 के रिकार्ड दुरूस्ती करवाने व खातेदारी की (मुख्त्यारकर्ता के नाम) घोषणा करवाने का अधिकार प्रदान कर रखे है व वादी संख्या 1 को वाद के समस्त तथ्यों की जानकारी है अतः यह दावा मुख्त्यार खास ओमप्रकाश की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है जिस हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय श्रीमान से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। यह कि चूंकि वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता की मृत्यु हो चुकी है वर्णित खेत के 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 1 ता 9 का लगातार रूप से काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्से पर वादी सं. 1 ता 9 का लगातार रूप से काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 10 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी संख्या 1 ता 9 उपरोक्त खसरा भूमि में विरासतन तौर पर 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषित करवानें के अधिकारी है जिसके लिए यह घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादी संख्या 1 ता 9 ने अपने पति/पिता की मृत्युरान्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम विरासन इन्तकाल दर्ज करवानें हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ से निकलवाई तो वादीगण को पता चला कि सम्वत 2016 से 2060 तक वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का नाम जैसका पुत्र भोमराज व सम्वत 2061 के बाद जैसा पुत्र भोमराज अंकित कर रखा है जबकि वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का सही व वास्तविक नाम जयसुखराम पुत्र मामराज है, इसी प्रकार वादी संख्या 10 के पिता का नाम भी भोमराज अंकित कर रखा है जबकि वादी संख्या 10 के पिता का सही नाम मामराज है। उक्त खातेदारी में सहवन से पतराम, जयसुखराम पुत्रगण मामराज की जगह पतराम, जैसा पुत्रगण भोमराम दर्ज कर दिया गया है जिसको दुरूस्त करवाने के वादीगण पूर्ण अधिकारी है। वादी संख्या 2 च 10 वृद्ध है तथा वादी सं.1 व 3 से 9 कृषि पेशा व मजदूरी पैशा व व्यावसायिक पेशा व्यक्ति होने के कारण व अपने कृषि कार्य व व्यावसियक कार्य में व्यस्त रहने के कारण कभी अपने राजस्व रिकार्ड को नही संभाला। यह कि वादीगण वृद्ध, कृषि पेशा व व्यावसायिक पैशा व्यक्ति है। वादीगण को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने पिता के नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है। वादीगण को राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 29.07.2020 को लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई है। वादीगण के तमाम सरकारी दस्तावेजात यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत सांवतसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.08.2020 नगरपालिका मण्डल नोखा द्वारा क्रमांक 158 दिनांक 23.01.2017 को जारी वारिस प्रमाण पत्र व वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता जैसा उर्फ जयसुखराम के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में भी वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का नाम जयसुखराम व उनके पिता का नाम मामराज एवं वादी संख्या 10 के पिता का नाम मामराज अंकित चला आ रहा है जबकि वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का नाम कभी भी जैसा एवं वादी संख्या 10 के पिता का नाम कभी भी भोमराज नही रहा है, केवलमात्र राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का नाम जैसा व वादी संख्या 10 के पिता का नाम भोमराज अंकित कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातो की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यह कि उपरोक्त खसरा भूमि में वादी संख्या 1 ता 9 के नाम अभी विरासतन खातेदारी भी दर्ज नही हो सकी है तथा दूसरी तरफ वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का गलत नाम जैसा पुत्र भोमराज अंकित होने से एवं वादी संख्या 10 के पिता का नाम भी गलत रूप से भोमराज अंकित [illegible] कारण वादीगण को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी बनाने, ट्यूब बनाने, [illegible] व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है [illegible] से ही वंचित हो रहे है। यह कि वर्णित खसरा भूमि में वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता का नाम व वादी संख्या 10 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया हे, इस बाबत वादीगण चे दिनांक 14.08.2020 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि खसरा नम्बर 32 रोही कल्याणसर मे जैसा पुत्र भोमराज व पतराम पुत्र भोमराज अंकित चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

है तथा वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता जैसा उर्फ जयसुखराम की मृत्यु हो चुकी है, अब वादगत खसरा भूमि में वादी संख्या 1 ता 9 का बतौर विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दर्ज करवाना है और पति/पिता का सही नाम जयसुखराम दर्ज करवाना है तथा वादी सं.2 के पिता का नाम भी मामराज की जगह भोमराज अंकित कर रखा है जबकि हमारे तमाम सरकारी दस्तावेजो में पतराम पुत्र मामराज व जयसुखराम पुत्र मामराज अंकित चला आ रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में सरकारी दस्तावेजो के हिसाब से शुद्धिकरण किया जावे व वादी सं.1 ता 9 के नाम विरासतन 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जावे तो प्रतिवादी ने वादीगण को कहा कि ऐसी गलती को हम दुरूस्त नहीं कर सकते व सही रूप से इन्तकाल कार्यवाही के लिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना व खातेदारी घोषित करना संभव नही है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादीगण के पति/पिता के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा उक्त शुद्धि करने से व विरासतन इन्तकाल दर्ज करने से इन्कार करने पर वादीगण के पास प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक व शुद्धिकरण का वाद लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है। यह कि वादगत खेत वादीगण का पैतृक खातेदारी का खेत होने से व वादीगण का कब्जा काश्त चले आने से व वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम विरासतन तौर पर दर्ज करने से व रिकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार होने से वादीगण को वादाधार व हेतु हासिल है। वादीगण उक्त राजस्व रिकार्ड में विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने व शुद्धिकरण करवाने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरीत असर नही पडेगा। यह कि दावा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की घोषणा व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतिवादी के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी. पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, परन्तु नोटिस देने में समय लगेगा व वादीगण तब तक अपने नाम खातेदारी की घोषणा भी नही करवा पायेगे इसलिए धारा 80 (2) सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने की छूट न्यायालय श्रीमान से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादगत खेत ग्राम कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है इसलिए दावा की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है एवं दावा उचित न्याय शुल्क पर व समयावधि के भीतर प्रस्तुत है।

अतः वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:—

(क) कि खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 3.86 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व में 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी संख्या 1ता 9 के पित/पिता जैसा उर्फ जयसुखराम के नाम रही है। जैसा उर्फ जयसुखराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जगह विरासतन तौर पर वादी संख्या 1 ता 9 के नाम खातेदारी की घोषणा की जाकार राजस्व रिकार्ड में अंकन कि[illegible] दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

(ख) कि खेत खसरा नम्बर 32 [illegible] वेही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता [illegible] पति/पिता का सही नाम जयसुखराम पुत्र मामराज अंकित किया जावे व वादी संख्या 10 पतराम के पिता का नाम भोमराज की जगह मामराज अंकित किया जाकर शुद्धिकरण करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे व आदेश की पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

(घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

वादी के उक्त वादको दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी कीओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। आज यह पत्रावली वकील वादी के निवदेन पर कैम्प कोर्ट कल्याणसर में पेश हुई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील द्वारा वाद में अंकित तथ्यों का दोहराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने एवं वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 3.86 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी संख्या 1 ता 9 के नाम ब.हि.ब. घोषित की जाती है। खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 3.86 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता जैसा के स्थान पर सही नाम जयसुखराम पुत्र मामराज व वादी संख्या 10 पतराम के पिता का नाम भोमराज के स्थान पर मामराज शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को कैम्प कोर्ट कल्याणसर नया में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिव्या)
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ (कैम्प कल्याणसर नया)

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम सांवतसर हाल निवासी सी–83, समतानगर, बीकानेर स्वयं व **2.** चुन्नीदेवी पत्नी स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम **3.** बंशीलाल पुत्र स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम **4.**शिवरतन पुत्र स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम **5.** रामस्वरूप पुत्र स्व. जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिशनोई निवासीगण हीरो होण्डा शोरूम के पास नोखा जिला बीकानेर **6** .भगवानाराम पुत्र जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिश्नोई निवासी धारणिया ऑटो मोबाईल एजेन्सी, नागौर **7.** रामेश्वरी पुत्री जैसा उर्फ जयसुखराम (पत्नी ओमप्रकाश) जाति बिशनोई निवासी हाल 153 श्रीसुरजनजी की ढाणी, रानीवाडा, काबा मडगांव जालौर **8.** रामाकंवर पुत्री जैसा उर्फ जयसुखराम (पत्नी सुनील कुमार) जाति बिशनोई निवासी हाल के.बी. सिनेमा के पास ,वार्ड नं 25 रायसिहनगर (गंगानगर) **9.** संतोष पुत्री जैसा उर्फ जयसुखराम (पत्नी शैलेन्द्र) जाति बिश्नोई निवासी हाल प्लॉट नम्बर 27, सेक्टर 18 ई.सी.एच.बी. समोर, कृष्णा नगर, जोधपुर जरिये अपने मुख्तयार खास ओमप्रकाश पुत्र जैसा उर्फ जयसुखराम जाति बिशनोई निवासी ग्राम सांवतसर हाल निवासी सी–83, समतानगर, बीकानेर **10.** पतराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई निवासी नोखा जिला बीकानेर स्वयं

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 54/2020
निर्णय दिनांक 8.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री नारायण पंवार अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकारराज स्टेट मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 3.86 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी संख्या 1 ता 9 के नाम ब.हि.ब. घोषित की जाती है। खेत खसरा नम्बर 32 तादादी 3.86 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता 9 के पति/पिता जैसा के स्थान पर सही नाम जयसुखराम पुत्र मामराज व वादी संख्या 10 पतराम के पिता का नाम भोमराज के स्थान पर मामराज शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 08 माह 10 सन् 2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:59 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
श्री डूँगरगढ